न्यायालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।

द्वितीय अपील संख्या–73 वर्ष 2012–13 अन्तर्गत धारा–331(4) जमीनदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम।

श्रीमती विमला पन्त पत्नी स्व0 गणेश पन्त व श्री दीपक पन्त, कुमारी योगिता पन्त पुत्र/पुत्री गणेश पन्त व अभिजीत(नाबालिग) पुत्र गणेश पन्त द्वारा माता विमला पन्त निवासी ग्राम मनिहारगोठ, पो0 टनकपुर, जिला चम्पावत।

–अपीलकर्तागण।

बनाम

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 सुरेश पन्त निवासी ग्राम व श्री नितिन पाण्डे निवासी 46 वसंत विहार, हल्द्वानी व श्री हरिदत्त भट्ट पुत्र मनीराम भट्ट व श्री पूरन चन्द भट्ट पुत्र केशवदत्त भट्ट व श्रीमती कमला भट्ट समस्त निवासी ग्राम मनिहारगोठ, पूर्णागिरी टनकपुर, जिला चम्पावत व गाँव सभा मनिहारगोठ।

–विपक्षीगण।

बावत

भूमि स्थित खसरा संख्या 75 रक्वा 1.8970 है0 व तथा 77 व रक्वा 0.0190 है0 ग्राम मनिहारगोठ परगना काली कुमाँऊ तहसील पूर्णागिरी टनकपुर, जनपद चम्पावत।

निर्णय

यह द्वितीय अपील आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के अपील संख्या 51/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 18 नवम्बर, 2011 के विरूद्ध दायर की गई जिस द्वारा माननीय आयुक्त ने सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), पूर्णागिरी टनकपुर द्वारा वाद संख्या– 01/2007–08 अन्तर्गत धारा–176 जमीनदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में पारित प्रारम्भिक आदेश दिनांक 17 फरवरी, 2011 को सही मानते हुए अपील अस्वीकार कर दी थी।

इस द्वितीय अपील में निहित विधिक प्रश्नों की चर्चा करने से पूर्व मूल वाद के तथ्यों पर नज़र डाल लेना लाभकारी होगा। विवादित भूमि गणेशदत्त व सुरेश चन्द्र के पिता श्री दामोदर के नाम दर्ज थी जो उनके स्वामित्व में पिता के मृत्योपरान्त वर्ष 1985 में आई। कुल भूमि 30 बीघा 6 विसवा थी जिसमें से दोनों भाईयों ने 12 बीघा 10 विसवा भूमि हरिदत्त भट्ट पुत्र मनीराम को बेच दी थी जो दोनों पक्षों को मान्य है जैसा कि गणेश चन्द्र पन्त बनाम सुरेश चन्द्र पन्त आदि वाद संख्या–71/1997 न्यायालय सिविल न्यायाधीश, खटीमा में निर्णय दिनांक 14 अगस्त, 2001 से विदित है। इस प्रकार मूल वाद योजित करते समय गणेश दत्त पंत व सुरेश चन्द्र पंत पुत्रगण दामोदर के स्वामित्व में 17 बीघा 16 विसवा भूमि थी और इसमें से भी सुरेश चन्द्र पंत ने पूरन चन्द्र भट्ट को 11 विस्वा भूमि व गणेश दत्त पंत ने श्रीमती कमला भट्ट को 5 बीघा 1 विसवा 13 विसवांसी

भूमि विक्रय कर दी थी। यह स्पष्ट नहीं है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन), खटीमा द्वारा 14 अगस्त, 2001 को दी गई निषेधाज्ञा प्रभावी रहते हुए किस प्रकार दोनों भाईयों अर्थात गणेश दत्त व सुरेश चन्द्र ने भूमि का विक्रय किया परन्तु यह स्पष्ट है कि मूल वाद योजित करते समय हरिदत्त भट्ट व पूरन चन्द्र भट्ट व श्रीमती कमला भट्ट भी सहखातेदार बन चुके थे।

सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), पूर्णागिरी(टनकपुर) के आदेश दिनांक 17 फरवरी, 2011 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रारम्भिक आदेश करते समय दोनों भाईयों का विवादित भूमि पर आधा–आधा हिस्से का स्वामित्व मानते हुए उसमें से वाद योजित होने तक विक्रीत भूमि जिसका इन्द्राज खतौनी में अंकित हो चुका था को घटाते हुए भाईयों के स्वामित्व के हिस्सों का निर्धारण किया तथा केताओं का हिस्सा संबंधित बैनामे के अनुसार ही माना। इस आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अब इस प्रारम्भिक आदेश के संबंध में विधिक प्रश्नों की विवेचना निम्न प्रकार की जाती है:–

(i) क्या पक्षकारों के मध्य बंटवारे के वाद में वाद बिन्दु बनाये बगैर वाद का निस्तारण कर हिस्से निर्धारित करते हुए प्रारम्भिक आदेश/डिक्री पारित की जा सकती है ?

जी हाँ, जहाँ विरासत में प्राप्त भूमि दो भाईयों की हो व उनके द्वारा संयुक्त रूप से कुछ भूमि व अपने–अपने हिस्से से कुछ भूमि बेची गई हो और केताओं का नाम व उनके द्वारा क्रय की गई भूमि का रक्वा खतौनी में उपलब्ध हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वाद बिन्दु निर्धारित किए जांए क्योंकि प्रत्येक खातेदार का हिस्सा स्वतः स्पष्ट है।

(ii) क्या संयुक्त खाते की भूमि का ऐसा पक्षकार जो स्थल पर काबिज़ हो किन्तु जिसे पक्ष न बनाया गया हो को वाद में पक्ष बनाए बगैर कराया गया निर्णय व पारित डिक्री का कियान्वयन सम्भव है और यदि नहीं तो ऐसी डिक्री जिसका कियान्वयन सम्भव नहीं है अवैध व प्रभाव शून्य होने के आधार पर बहाल रहने योग्य नहीं होती है ?

धारा–176 ज़मीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत सहखातेदारों के बीच बंटवारा किया जाना कल्पित है। इस विधिक व्यवस्था में विवादित भूमि पर काबिज़दारों को बंटवारे में सम्मिलित करने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। मूल वाद तथा अवर न्यायालय की वाद पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पर दर्ज खातेदारों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के काबिज़ होने की बात परिलक्षित नहीं है।

(iii) क्या अवर अपीलीय न्यायालय को अवर न्यायालय के आदेश/डिक्री के विरूद्ध उठाई गई आपत्ति का विवेचनापूर्वक निस्तारण किए बगैर यथावत बहाल रखने का आदेश विधि विरूद्ध है ?

आयुक्त, कुमांऊ मण्डल का आदेश 18 नवम्बर, 2011 के अवलोकन से विदित है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने तथ्यों व विधि की पूर्ण विवेचना करने के पश्चात ही निर्णय किया है, अतः आयुक्त, कुमांऊ मण्डल का आदेश विधि सम्मत पाया जाता है।

उपरोक्तानुसार इस द्वितीय अपील को बलहीन पाया जाता है व तद्नुसार यह द्वितीय अपील अस्वीकार की जाती है।

देहरादून,
~~1 अक्टूबर~~
~~20 सितम्बर~~, 2013

(सुनील कुमार मुदद्)
अध्यक्ष।